



जल जीवन मिशन, भारत सरकार को समर्थित

पहाड़-पानी-परम्परा

पारंपरिक नौले-धारे तथा जल-जंगल-जमीन को बचाने की मुहिम

मन की बात-जल की बात



अभी नहीं तो कभी नहीं



जल सुरक्षा संकल्प

हिमालयी जल संचयन, संरक्षण एवं संवर्धन

- बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा जल के प्रबन्धन में हिमालयी पारम्परिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सबसे निचले स्तर की जनतान्त्रिक संस्था, ग्राम पंचायत व वन पंचायत की प्रमुख भूमिका है। इसमें गाँव के सभी वयस्क नागरिक शामिल होंगे और महिलाओं की समग्र और अबाधित भागीदारी होगी। जहाँ पंचायतें नहीं हैं, वहाँ यह भूमिका पद, टोला तथा अन्य पारम्परिक ग्रामीण संस्थाएँ अथवा चुनी हुई अमुक ग्राम जल संचयन समितियाँ अदा करेंगी।
- जल संसाधन प्रबंधन में ग्राम सभा (ग्राम पंचायत व वन पंचायत)की मुख्य भूमिका होगी। ग्राम सभाओं को जल संचयन के साथ साथ स्थानीय जैव विविधता तथा सांस्कृतिक बहुलता सम्बन्धी सामुदायिक वन सम्पदा के संरक्षण, पुनर्वधन, संवर्धन और प्रबन्धन के अधिकार और इससे जुड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जायेगी। ग्राम सभा दावों को प्राप्त करेंगे और उनकी पुष्टि करेंगे, राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची के अनुसार क्षेत्र का नक्शा तैयार करेंगे और फिर एक प्रस्ताव पारित कर उसकी एक प्रति उपमण्डल स्तर की समिति को देंगे।
- पहाड़ पर जंगल का मालिकाना हक ज्यादातर वन विभाग व थोड़ा बहुत वन पंचायत के अधीन होता है। वन विभाग वाला जंगल फारेस्ट रिजर्व अथवा जंगलात पर कुछ भी काम करने का अधिकार लोगों के पास नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप वन पंचायत वाला क्षेत्र पर ज्यादा काम होता है, हमें वन विभाग से इस जंगल की भूमि पर लोगों को संरक्षण कार्य करने के लिए उपलब्ध करवाना पड़ेगा, इस तरह पहाड़ की चोटी पर भी जल संचयन व संरक्षण का सही प्रबंधन हो सकेगा।
- यह प्रक्रिया दो चरणों में होगी अमुक गाँव के मतदाता सूची के अनुसार प्रत्येक परिवार का एक सदस्य जल संरक्षण के कामों में चार दिन का श्रमदान करेगा। फिर गाँव में सबकी सहमति पर एक ग्राम जल संचयन समिति का चुनाव किया जाएगा, जिसे जल प्रबंधन अधिकारी जल संचयन के विभिन्न सामाजिक, तकनीकी, प्रबंधकीय और वित्तीय पहलुओं, स्त्री-पुरुष की समानता स्वयं सहायता समूह, उद्यम विकास पर प्रशिक्षित करेंगे।

अभी नहीं तो कभी नहीं

- हिमालयी पारम्परिक ग्राम्य संस्थाएँ पारंपरिक जल स्रोतों, नौलो, धारो, नदियों, गधेरो, गुलो, प्राचीन मंदिरों की पहचान में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करेंगे। गाँव के सभी वयस्कों और महिलाओं की इसमें अबाधिक व पूर्ण भागीदारी होगी। अमुक गाँव में स्थित पारंपरिक जल स्रोतों, नौलो, धारो, नदियों, गधेरो, प्राचीन मंदिरों की संख्या और उनकी तात्कालिक स्थिति, नक्शे व चित्र के साथ लिखित जानकारी जल संचयन समिति की फ़ाइल में दर्ज होगी। इसके पश्चात हमारी पहली प्राथमिकता होगी - प्राकृतिक जल स्रोत, नौले, धारे व गधेरे की पहचान (मैपिंग / जियो टैगिंग) करना। प्रत्येक नौले का अतिक्रमण रोकना व नौला को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना, प्राकृतिक जल स्रोत, नौले, धारे व गधेरे की साफ़ सफ़ाई करना व उनका रिचार्ज ज़ोन पता करना। रिचार्ज ज़ोन की जैव विविधता की पुनर्स्थापना करना व विशेष चौड़ी पत्ती वाले पौधों का रोपण करना। प्राकृतिक जल स्रोत, नौले, धारे व गधेरे के पानी की गुणवत्ता व शुद्धता पर ध्यान देना व इनको प्रदूषित होने से रोकना। गाँव में पीने के पानी के पुराने पाइपलाईनों की रिपेयरिंग करना या बदलना एवं सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करना।
- एक उपमण्डल स्तर की समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उपमण्डल स्तर की समिति की मुख्य भूमिका और जिम्मेदारी हर ग्राम सभा (ग्राम पंचायत व वन पंचायत) को उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सूचित करने के साथ-साथ पहाड़-पानी-परम्परा को सहेजने की होगी साथ ही जैव विविधता, जल संचयन की जिम्मेदारी, वन्य-जीव संरक्षण, वन तथा पेड़-पौधों एवं जीव-जन्तुओं के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराने की होगी। वह कानून और नियमों के तहत यह निर्धारित उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में जल संचयन समिति के सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम सभा की बैठकें स्वतन्त्र और निष्पक्ष एवं अपेक्षित उपस्थिति के साथ हों। वह सम्बद्ध ग्राम सभाओं के सभी प्रस्तावों का मिलान करेगा। वह ग्राम सभाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों और सम्पूर्ण प्राकृतिक जल स्रोत, नौले, धारे व गधेरे तथा अन्य कोई स्थानीय स्रोतों के विवरणों का एक ब्योरा बनाएगा। दावों की प्रामाणिकता को जाँचने के लिए प्रस्तावों और मानचित्रों की जाँच-पड़ताल करेगा। वह अन्तरमण्डलीय दावों के लिए अन्य उपमण्डल स्तर की समितियों के साथ तालमेल करेगा।



अभी नहीं तो कभी नहीं

जल क्रांति- आज के समय की मांग

अरब शब्द मौसिन से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिसे आम बोलचाल की भाषा में मौसम कहा जाता है। सालाना आगमन के कारण ही इस खास जलवायु का नाम मानसून पड़ा। आर्द्र मानसून हवाएं जब पर्वत से टकराती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं, परिणामस्वरूप पर्याप्त बारिश होती है। चूंकि हम जानते हैं कि ज्यों-ज्यों उंचाई बढ़ती है तापमान कम होने लगता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर एक डिग्री सेंटीग्रेट तापमान कम हो जाता है। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो इसमें मौजूद वाष्पकण ठंडे होकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। जब पानी की बूंद भारी होने लगती है तो यह धरती पर गिरती है। इसे हम वर्षा कहते हैं। चूंकि मानसूनी हवा में वाष्पकण भरपूर मात्रा में होते हैं इसलिए बारिश भी जमकर होती है।

1. सुरक्षित जल संचयन का सिद्धांत बहुत साधारण है वर्षा का पानी जहां गिरता है, उसे आगे बढ़ने से रोकना है। जैसे-जैसे वह आगे बढ़ेगा उसकी मात्रा बढ़ेगी। आस-पास का पानी उसमें आकर मिलेगा, उसकी रफ्तार बढ़ेगी, वह मिट्टी काटेगा। हमें उसे संगठित नहीं होने देना है। वह बढ़कर बाढ़ बने उसके पहले ही उसकी शक्ति कम करनी है। वैसे पानी हम बड़ी-बड़ी संरचनाएं बनाकर भी रोक सकते हैं मगर वहां पर पानी की रोकने की कीमत बढ़ जाती है।

2. पहाड़ों पर पुरानी जलसंरचना का जीवन शैली में बहुत महत्व है, इन्हें खाल कहते हैं। ये संरचनाये पहाड़ों की ऊंचाइयों पर भी गहरे स्थानों पर होती हैं। ये प्राकृतिक या मानव निर्मित भी हो सकती हैं। मध्य हिमालय में निचले ढाल वाले क्षेत्रों में ये भूगर्भीय कुण्ड जैसे सीमित आकार की गहराइयों वाले क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें बरसाती जल ढालों से आकर जमा होता है तब पारम्परिक रूप से इनके पानी का विभिन्न उपयोग होता आया है। खालों का जगह-जगह अतिक्रमण हो गया है या वे मलबे से भर कर अनुपयोगी हो गये हैं। अब इन्हें पुनः जीवित किया जाना होगा। इससे पहाड़ों में सिंचाई में तथा भूमिगत जल भण्डारों में पानी की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलेगी। चाल-खालों का पहाड़ी वर्षा के तेज बहते हुये पानी को रोकने तथा उसे भूमिगत करने में बहुत महत्व है।

3. पहाड़ों में जहां से नदियां निकलती हैं वहीं से छोटी नहरों से पानी पास के क्षेत्रों में ले जाया जाए। जिससे पानी को नीचे से उपर ले जाने की समस्या काफी हद तक निबट जाएगी। पीने के पानी सहित खेतों को भी पानी मिलेगा। पहाड़ों की ढलानों पर चौड़े पत्तीवाले पेड़ों सहित मिश्रित जंगल लगाए जाए। जिससे पेड़ों की जड़े मिट्टी को बांधेंगी तो भूस्खलन तो रुकेगा ही साथ पानी भी रुकेगा और हरियाली से वर्षा में भी अंतर आएगा। भूजल स्तर भी बढ़ेगा। नदी-गधेरो में पानी लगातार होगा।

अभी नहीं तो कभी नहीं



4. पहाड़ों में 'चेकडैम' मिट्टी, पत्थर या सीमेंट-रोड़ी का बना हुआ एक ऐसा अवरोध होता है, जिसे किसी भी द्रोणी, झरने या नाले के जल प्रवाह की आड़ी दिशा में खड़ा किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य मानसून के तेज गति से बहते पानी (रन ऑफ वाटर) यानी अतिरिक्त जल को बांधना होता है, ताकि वह काम आ सके। यह पानी बरसात के दौरान और उसके बाद भी इस्तेमाल हो सकता है और इसमें भूजल का स्तर बढ़ता है। हजारों की संख्या में पुराने बने चेक डैम आज भी मौजूद हैं परन्तु उनमें दशकों से विकास के नाम पर बही मिट्टी और गाद ने कब्ज़ा जमा लिया है इन चेक डैमों को साफ-सफाई करके पुनः उपयोग में लाना होगा।

5. नदियों के अलावा पहाड़ों में मुख्य जल-स्रोत प्राकृतिक चश्मे या 'सोते' होते हैं। ये पहाड़ों में भूमिगत जल के सतह के ऊपर फूटने से बनते हैं। इससे निकलता पानी बहुत कम व क्षीण भी हो सकता है। कुछ सोते मौसमी भी होते हैं। इन पहाड़ी जल-स्रोतों से पानी कुण्ड में इकट्ठा किया जा सकता है और 6X6, 8X8, 10X10 फीट के रिजर्वायर बनाये जा सकते हैं।

6. बरसाती पानी को रोकने के लिए विशेष कण्टूर बनाये जाते हैं जिसमें नालियाँ या खाइयाँ बनाने से पानी रोकने में मदद मिलती है। ये पानी भूजल को बढ़ाने में मदद करता है। इनमें परम्परागत खेती भी की जा सकती है बीज भी कण्टूरों के आधार पर बोए जाते हैं। बरसात का पानी व मिट्टी भी इन कन्टूर नालियों या खाइयों में जमा होती है। इससे जमीन में नमी रहती है।

7. पहाड़ में जितनी भी बंजर खाली है, उसके स्वामित्व के रिकार्ड पहाड़ के वित्त अभिलेख कार्यालय से निकलवाए जा सकते हैं ताकि उनके स्वामित्व की पुष्टि की जा सके। भूमि के खाते के विवरण के आधार पर, बंजर भूमि को जल संरक्षण और संचयन के लिए निर्धारित किया जा सकता है। बंजर भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना और स्थल रूप रेखा का अध्ययन कर एक कन्टूर नक्शा तैयार करना अति आवश्यक है। कन्टूर नक्शा खेत में पानी के बहाव की दिशा बताता है।

8. पानी के संसाधन विकास का सबसे अच्छा तरीका खेत में बहते पानी को इकट्ठा करने के लिए नालों या गुलों पर पुश्ते बनाना है, आमतौर पर केवल 20-30 प्रतिशत बरसाती पानी खेत इस्तेमाल करता है बाकी बह जाता है और उर्वर मिट्टियों का कटाव करता है। कन्टूर (समोच्च) बांध का विकास कर और ढालू जमीन पर कुंड (नालियाँ) खोद कर बरसाती पानी को दुगनी मात्रा में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। खेती के निचले भाग में तालाब बनाकर निकासी वाले पानी को इकट्ठा किया जा सकता है।

अभी नहीं तो कभी नहीं



9. पहाड़ - पानी - परम्परा के साथ-साथ स्थानीय वनस्पतियों की दुश्मन गाजर घास तथा कुरी घास जब एक स्थान पर जम जाती है, तो अपने आस-पास किसी अन्य पौधे को जमने नहीं देती है। जिसके कारण अनेकों महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियों और चरागाहों के नष्ट हो जानें की सम्भावना पैदा हो गई है। अनेकों स्थानों पर इसने चरागाहों को पूरी तरह ढक लिया है और खाली पड़े मैदान के मैदान अपने चपेट में ले लिये हैं। इसके परागकण वायु को दूषित करते हैं तथा जड़ों से स्रावित रासायनिक पदार्थ 'इक्यूडेर' धरती की मिट्टी को दूषित करता है। भूमि-प्रदूषण फैलाने वाला यह पौधा उस मिट्टी की सुरक्षा भी नहीं कर पाता है, जहाँ पर यह उगता है, इसीलिए इसकी पहाड़ों में फैलना बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि एक तो स्वयं मिट्टी को बांधता नहीं है, दूसरे इसकी उपस्थिति में अन्य पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। इसकी पत्तियों के काले छोटे-छोटे रोमों में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ 'पार्थिनम' मनुष्यों में एलर्जी का मुख्य कारण है। दमा, खाँसी, बुखार व त्वचा के रोगों का कारण भी यही पदार्थ है। गाजर घास के परागकण सांस की बीमारी का भी कारण बनते हैं। इसकी रोकथाम के उपाय करने होंगे।

10. पर्यटन के नाम पर पहाड़ों पर शहरों के विस्तार एवं अनियंत्रित और अनियमित भवन निर्माण, सड़क निर्माण गतिविधियों के कारण प्राकृतिक स्रोतों में गाद भर चुकी है जिन्हें तत्काल साफ कराना तथा जल भराव क्षेत्रों को पाटा जा रहा है उन्हें रोकना आवश्यक है।

11. नैनीताल, शिमला, अल्मोड़ा, मसूरी, देहरादून, हरिद्वार जैसे हिल स्टेशन अब बड़े जनसंख्या घनत्व वाले शहर हो चुके हैं इनके समानांतर अन्य नए विकल्प विशेष पर्यावरणीय अनुकूल पर्यटन स्थल को आगे बढ़ाना हमारी प्रमुखता होनी चाहिए जिससे गर्मीके दिनों में इन गिने चुने पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर होने वाले बोझ का बंटवारा किया जा सके।

12. सरकारी विद्युत् विभाग, रेलवे, जल विभाग तथा अन्य सभी विभागों की खाली पड़ी जमीनों पर ज्यादा से ज्यादा चौड़ी पत्ती वाले पौधों की सघन रोपण करवाना आवश्यक है।

13. पहाड़ों पर सरकार को बोरिंग गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण करना आवश्यक है।

14. सरकार को छोटे घरेलू वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बनवाकर नैनीताल, शिमला, मसूरी जैसे हिलस्टेशन के होटलों की इमारतों तथा स्थानीय कालोनियों में लगाना अनिवार्य करना होगा।

अभी नहीं तो कभी नहीं



15. सरकार को सभी पहाड़ी शहरों में प्रत्येक सीवर लाइन वाली व्यवस्था पर जल-मल शोधक कार्य करना होगा ।
16. मानसून से पहले व मानसून के बाद जल संरक्षण, संवर्धन व प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देना होगा ।
17. परम्परागत तकनीक से जल संरक्षण आसान हैं बस हमें उन्हें सही ढंग से लागू करना होगा और उसके लिए सामुदायिक सहभागिता से कार्य करना होगा ।
18. लोगों के सशक्तीकरण के कार्यक्रम, नयी परियोजनाओं के डिजाइन और निगरानी पद्धति क्षमता को मजबूत करना होगा ।
19. नई सामुदायिक परियोजनाओं और मूल्यों के अनुकूल वितरण प्रणाली उन्नयन, लक्ष्य समूहों की आकांक्षा और विभिन्न समझौता ज्ञापनों की प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देना होगा ।
20. भूमिगत भूजल बैंक बनाना, नदी की जमीन को चिन्हित व अधिसूचित करना अति आवश्यक है।
21. रिवर - सीवर (अर्थात नदी जल व मल व्ययन) का प्रबंधन अलग अलग करना अति आवश्यक है।
22. औद्योगिक तथा जैविक कचरे के समुचित निस्तसरण की व्यवस्था करना अति आवश्यक है।
23. जल प्रवाह का मार्ग बढ़ा मुक्त करने तहत नदी जल व रेट का दोहन रोकने की बात जोर शोर से उठाना अति आवश्यक है।
24. जल सुरक्षा अधिनियम बने तथा जल सुरक्षा, ग्राम सुरक्षा, खेत सुरक्षा, किसान सुरक्षा, भूमि सुरक्षा तथा राष्ट्र सुरक्षा पर ध्यान हो ।

अभी नहीं तो कभी नहीं

जकीय: वरिष्ठ - माध्यमिक - विद्यालय: असगाला (उ)



Published by:

Naula Foundation

1. Village: Basulisera, Post : Bagwali Pokher,
Block & Tehsil : Dwarahat, District : Almora, Uttrakhand-263621

2. C-72, Palam Vyapar Kendra, Palam Vihar, Gurugram (Delhi NCR) , Haryana-122017

Copyright © 2019

Naula Foundation

All rights reserved. Published 2019

Production Team

Dr. Naveen Chandra Joshi

Swami Veettamso

Bishan Singh



अभी नहीं तो कभी नहीं